निष्कर्ष:-

शोध विषय **विवाह में स्त्री का व्यापारीकरण और विभिन्न प्रान्तों से लायी गयी महिलाओं** को चुनने का उदेश्य यह था कि विवाह जो समाज की मुख्य संस्थाओं में से एक है के अंतर्गत महिलाओं की खरीद-फरोख्त होने कि प्रक्रिया को उजागर करना, यह प्रक्रिया नयी नहीं है क्योंकि **डा॰ प्रेम चौधरी** ने अपनी पुस्तक '*The Veiled Women* 'में इस परिघटना का जिक्र करते हुये लिखा है कि किस तरह से इसका प्रचलन औपनिवेशिक(colonial) समय से है। पितृसत्तात्मक समाज में किस प्रकार से महिलाओं का निचला दर्जा है परंतु इस समस्या विशेष पर शोध करने की आवश्यकता इसलिए भी थी क्योंकि विवाह संस्था की आड़ बनाते हुये स्त्री का वस्तुकरण हो रहा है जो ठीक किसी व्यापार के सिद्धान्त पर ही आधारित है कि जिस प्रकार किसी भी वस्तु सपलाई(supply) उसकी मांग की आपूर्ति करने के लिए होती है। ठीक उसी प्रकार विवाह के अंतर्गत विभिन्न नेटवर्कों के माध्यम से जो पुरुष अपने क्षेत्र और समाज में विवाह नहीं कर पाते हैं उनको आवश्यकता पड़ती है कि अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति और घर की सभी सुख-सुविधाएं प्रदान करने के लिए औरत ही चाहिए और इसका सबसे मजबूत आधार बनता है उस औरत को पत्नी के नाम पर लाना फिर उन्हें यह पत्नियाँ कैसे भी लानी हों वो उसके लिए दलालों को ढूंढते है या कभी-कभी दलाल खुद उन तक पहुँच जाते हैं।

हमारे समाज में यह समस्या निरंतर बनी हुई है। इस समस्या को समाचार-पत्रों और शोध-आधारित कई टी॰ वी॰ धारावाहिकों में भी बार-बार दिखाया है लेकिन कभी समाज में इस अपराध के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी; बराबर एक मूक सहमति चली आ रही है। जितनी भी अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो पायी है उनके आधार पर शोध विषय के कुछ बिन्दुओं पर बात हुई है लेकिन जिस तरह से यह पूरी परिघटना ही मानव-तस्करी की और इंगित करती है इस दृष्टिकोण पर सीधे-सीधे किसी ने बात नहीं की कुछ जगह वधू-खरीदने की बात की गयी है लेकिन उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को छोड़ दिया गया है लेकिन मैंने अपने शोध कार्य के दौरान इस पूरे शोध को मानव-तस्करी के नज़रिये से देखते हुये ही उन महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति एवं उनके जीवन में वो किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करती है को गहराई से समझते हुये इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा है कि किस प्रकार से यह मानवीय मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है और समाज सब जानते हुये भी इस पर अपनी चुप्पी साधे हुये है। कुछ समाज के ठेकेदार इसके सामान्यीकरण होने कि मोहर लगाते हुये इसे समाज की आवश्यकता बताते हैं जबकि प्राप्त तथ्यों के आधार पर बात करें तो इस

एक परिघटना में कई अपराधों के आधार(grounds) समाहित हैं। इस पूरी समस्या की छान-बीन करते हुये कुछ शोध प्रश्नों के माध्यम से पूरी समस्या को ही समझने की कोशिश की गयी। जिसमें मुख्य रूप से विवाह में स्त्री का व्यापारीकरण क्या है? इसके अर्थों को समझते हुये व्यापारीकरण के क्या कारण हैं और वह किस नेटवर्क के तहत होता है? इन सबकी बारीकी से छान-बीन की गयी, इन सबके बावजूद जो सबसे महत्तवपूर्ण बात उभर का र सामने आती है वह है विवाह के अंतर्गत खरीदकर लायी गयी महिलाओं मानवाधिकारों का हनन कितनी परतों में गूँथा हुआ है? क्योंकि इस पूरी परिघटना **मोलकी महिलाओं** के शोषण पर टिकी है जो मनुष्य होने के नाते सीधे-सीधे इन महिलाओं के मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों का हनन है। ये महिलाएँ किस प्रकार की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में निर्वाह करती हैं ? ये परिस्थिति इस अपराध के घटित होने के बाद बनती है।

इस प्रकार की समस्या से संबन्धित विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुये पूरे लघु-शोध को चार अध्यायों में विभाजित किया है। इससे पहले में शोध के चुनाव के आधारों पर बात की है कि किस तरह से ये समाज कि एक गंभीर समस्या होते हुये भी अनदेखी की जा रही है जबकि इस समस्या में स्त्रियों का दोहरा और तिहरा शोषण हो रहा है। इसके अतिरिक्त इसी अध्याय में शोध प्रश्न, शोध उद्देश्य और शोध प्रविधि के साथ-साथ शोध क्षेत्र के विषय में भी बताया गया है कि क्षेत्र विशेष(हरियाणा) करने कि आवश्यकता क्यूँ है और उसमें भी कुरुक्षेत्र जिले को किन आधारों पर चुना गया क्योंकि लिंगानुपात का लगातार कम रहना एक विशेष कारण बनता है और कुरुक्षेत्र का लिंगानुपात अन्य जिलों कि तुलना में भी लगातार कम रहा है।

प्रथम अध्याय 'विवाह में स्त्री का व्यापारीकरण और उसके कारण और नेटवर्क'

इसमें विवाह में स्त्री का व्यापारीकरण क्या है तथा किस तरह से यह मानव तस्करी का ही एक बढ़ता हुआ रूप है लेकिन जिन स्त्रियों को जबरन या धोखे से तस्करी के जरिये इन विवाहों में बांध दिया जाता है उसके बाद उनके द्वारा थोपे हुये जीवन को उनके द्वारा आत्मसातीकरण के आधार पर किस प्रकार से समस्या का सामान्यीकरण हो रहा है और एक बहुत बड़े अपराध पर पर्दा डाला जा रहा है। इसके कारण और इस पूरी परिघटना को लगतार बनाए रखने में किस तरह के नेटवर्क काम कर रहे हैं परंतु वह नेटवर्क समज में इस तरह से फैले हुये है कि उनको अलग से पहचान पाना कठिन है क्योंकि वो दलाल भी इसी समाज का एक हिस्सा हैं और एक पूरक आय के साधन के तौर पर बड़े स्तर पर यह एक व्यवसाय में तब्दील हो रहा है।

द्वितिय अध्याय 'वैयक्तिक नमूना अध्ययन (case studies)' में क्षेत्र कार्य के दौरान दस वैयक्तिक अध्ययन किए जिनमें से **उद्देश्यपरक सैंपलिंग** के आधार पर पाँच को मुख्य रूप से अध्ययन में शामिल किया गया क्योंकि इन महिलाओं को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था और मिलकर उनके साथ बातचीत करना और भी मुश्किल था क्योंकि परिवार के सदस्य पति या सास की लगातार उपस्थिति रहना; एक दबाव रहता था, जिससे कुछ मामलों में विस्तार से बात नहीं हो पा रही थी जबकि हर मोलकी औरत अच्छे से अपने हर अनुभव बांटना चाह रही थी परंतु जिनसे अकेले में और कई बार मुलाक़ात हो पायी केवल केवल उन्हीं महिलाओं से विस्तार से जान पायी और इस पूरे पपरिघटना-चक्र के आधार को इन महिलाओं के जीवन पर बिना विस्तृत बातचीत के कारण, प्रभाव और परिणामों को जान पाना संभव नहीं था।

तृतीय अध्याय 'खरीद कर लायी गयी वधुओं का जीवन संघर्ष एवं मानवाधिकारों का हनन ' बाहर से खरीद कर लायी गयी वधुओं के जीवन संघर्ष को देखते हुये यह बताया गया है की किस प्रकार से विभिन्न स्तरों पर उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। मानवाधिकारों के शोषण पर बात करते हुये इस पूरी विवाह प्रक्रिया की बारीकी से छानबीन करते हुये पाया कि किस तरह से यह जबरन-विवाह और बाल-विवाह का ही एक कठोर स्वरूप है। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया किस तरह से प्राथमिक-अधिकारों और मानवाधिकारों हनन करती है, और पूरा जीवन संघर्ष में तब्दील हो जाता है इस प्रकार भाषा, खान-पान से लेकर अपनी भावनाओं तक को दबाकर नये परिवेश में तन्मयता बनाने की जदोजहद में जीना आरंभ कर देती हैं |

चतुर्थ अध्याय 'स्थानीय एवं खरीद कर लायी गई महिलाओं के जीवन में पितृसत्ता के प्रभाव का विभेद और सत्ता-संबंध' में बाहर से लायी गयी औरतों पर स्थानीय महिलाएं किस तरह से अपनी सत्ता दिखाती हैं और मोलकी महिलाएँ शोषण के स्तर पर पितृसत्ता के कठोरतम रूप को झेलती हैं। शोषण की पूरी प्रक्रिया विवाह के स्वरूप से निर्धारित होती है। जब परंपरागत-विवाह और जबरन-विवाह या बाल-विवाह की तुलना करते हैं तो विवाहित महिलाओं के अनुभवों में एक वृहत स्तर तक अंतर आ जाता है। वह ठीक उसी प्रकार से है जिस तरह से **शर्मिला रेगे** कहती हैं *Dalit Women talk differently*, दलित होने के नाते उनके शोषण के अनुभव और दायरे अलग हैं जहां हमें उन्हें समझने के लिए जेंडर और दलित दोनों लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। जिन

आधारों पर सीधे-सीधे फर्क नज़र आता है वो है दोनों के बीच कर्त्तव्यों और अधिकारों का दायरा, यही बंटवारा दोनों औरतों **स्थानीय** और **मोलकी** में एक सत्ता संबंध स्थापित करता है।

यह शोध विषय अपने आप में विस्तृत है लेकिन फिर भी बहुत कम समय में इस परिघटना के कारणों और महिलाओं की विवाह के बाद की परिस्थिति पर बात की गयी है। भविष्य में इस पर और बारीकी से छानबीन करते हुये यह आवश्यक है कि किस तरह से और क्या-क्या परिस्थितियाँ बनती है कि इनके माता-पिता इतनी दूर इन्हें यहाँ भेजने को तैयार है हालांकि मोलकी औरतों और हरियाणा के स्थानीय लोगों से बातचीत से बहुत सारे पक्ष उभर कर सामने आए हैं फिर भी और पुख्ता करने के लिए मोलकी औरत के पैतृक स्थान पर जाकर बारीकी से समझने की आवश्यकता है कि ऐसे क्या कारण रहते है जो इस तरह का विवाह इतनी तेज़ी से मानव-तस्करी का एक जटिल रूप बनता जा रहा है क्योंकि अभी-भी विवाह योग्य वधुओं की आवश्यकता एक बात है परंतु स्त्री होने के नाते इस पूरी प्रक्रिया में ये औरतें यौन-हिंसा, शारीरिक हिंसा का शिकार होती हैं और साथ ही इनके पास इस पूरी व्यवस्था से निकलने का भी कोई साधन नहीं है। इतनी जिंदगियों का सौदा रोज़ हो रहा है वो कहाँ जा रही हैं ? कैसे रह रही है? कहाँ से आ रही हैं ? और क्यों समाज इनके लिए चुप्पी साध कर रहता है? इसलिए निम्न **अनुशंसाओं** के साथ यह आवश्यकताएँ बनती हैं-

1. मानवाधिकार संगठनों और अन्य संगठनों द्वारा जनता और प्रशासन को संवेदनशील और मानव-तस्करी के प्रति सजग बनाने के लिए जागरूकता अभियान।
2. आयात क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था प्रबंध होना चाहिए कि वधू आने से पहले प्रशासन को इसकी सूचना हो जिससे विवाह; तस्करी के माध्यम से होने की संभावनाएँ कम होंगी।
3. विवाह के पश्चात इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि जिन वैवाहिक अधिकारों से ये वंचित हैं वो इन्हें मिल सकें।
4. पुलिस-प्रशासन खासकर महिला पुलिस को इतना संवेदनशील बनाया जाए कि गाँव की हर महिला तक उनकी पहुँच हो जिससे उनकी शिकायतें सुनी जाएँ।
5. कुछ ऐसे नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता है कि पुलिस प्रशासन, न्यायालय तक इन महिलाओं का संपर्क बनया जा सके। वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता या कोई भी विश्वसनीय संस्था हो सकती है।